THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) There are 13 direct sales counters of National Seeds Corporation (NSC) Ltd. in Uttar Pradesh and in addition there are 126 authorised seed dealers selling seeds of N.S.C.

(b) The annual turnover of sale of certified seed for the last 3 years is indicated below:

Year	Sale of certified seed	
	Quantity (in quintals)	Value (Rs. in lakhs)
1991-92	12929	150.77
1992-93	7359	121.44
1993-94	51843	448.24

(c) No, Sir.

(d) In view of the position indicated above, the question does not arise.

फसल बीमा योजना

6548. श्री रामजी लाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को प्रत्येक फसल के लिये फसल बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय किया है; यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से इन फसलों को हुये नुकसान के मामलों में राज्य-वार कितनी मुआवजा-राशि का भुगतान किया गया है ;

(ख) क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत अंगूर की फसल को भी शामिल करेगी;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसानों के विचार मांगे हैं ; और

(घ) सरकार इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य को कितनी धनराशि प्रदान करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) देश में खरीफ 1985 के मौसम से धान, गेहूं, कदन्न, जिलहन तथा दलहन को कवर करते हुये एक वृहत फसल बीमा योजना (सी.सी.आई.एस.) कार्यान्वित की जा रही है । पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण इन फसलों को पहुंची क्षति के मामलों में राज्यवार भुगतान की गई मुआवजा-राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **(नीचे देखिये)**

(ख) और (ग) अंगूर की फसल को कवर किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । इस फसल को चुनिंदा अंगूर उत्पादन करने वाले जिलों में भारतीय सामान्य बीमा निगम की सहायक कम्पनियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक अलग योजना के तहत कवर किया गया है ।

(घ) वृहत फसल बीमा योजना में राज्यों की सहभागिता भागीदारी स्वैच्छिक है । राज्यों में से हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने इस योजना में भाग नहीं लिया है। अतः इस योजना के तहत हरियाणा को किसी प्रकार की निधि मुहैया कराना संभव नहीं है ।

विवरण

बृहत फसल बीमा योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार भुगतान की गई मुआवजा राशि

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1. आंध्र प्रदेश	3,177.56	1,713.93	482.77
2. असम	3.78	4.73	0.15
3. बिहार	459.46	1,495.31	108.24
4. गोवा	0.03	0.20	0.06
5. गुजरात	13,451.68	87.50	645.63
6. हिमाचल प्रदेश	—	5.07	3.02
7. कर्नाटक	52.95	534.22	282.58
8. केरल	27.07	21.07	47.93
9. मध्य प्रदेश	659.80	273.25	38.39
10 महाराष्ट्र	2,032.04	130.63	92.33
11. मेघालय	—	0.95	0.40
12. उड़ीसा	75.94	427.15	109.49
13. तमिलनाडु	146.50	306.92	1,244.87
14. पश्चिम बंगाल	32.82	53.32	120.22
15. अंडमान एवं निकोबार	—	—	—
16. पांडिचेरी	0.76	1.10	16.11
कुल :	20,130.39	5,055.35	3,192.19

Promotion of horticulture in West Bengal

6549. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Governmet have allocated a huge amount of funds to West Bengal for the promotion of Horticulture during the Eighth Five Year Plan:

(b) if so, trie amount allocated and released so far; and

(c) the details of the beneficiaries of the funds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) Under the central sector/centrally sponsored plan schemes for development of horticulfure, an amount of Rs. 1465.54 lakhs has been earmarked for West Bengal during the VIII Plan. Out of this allocation, an amount of Rs. 287.29 lakhs has been released to the State during the first three years of the VIII Plan. In addition to this, Rs. 59.11 Lakhs has been, released to the State under the programmes of the National Horticulture Board.